न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

दुर्गालाल बनाम मांगीलाल वगै0

प्रकरण संख्या :-02/26

विषय: प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, धारा 10 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 05.02.2026

उपस्थित
श्री अशोक कुमार लववंशी ,अधिवक्ता, प्रार्थी, (प्रतिवादी)
श्री गजेंद्र गौतम,अधिवक्ता अप्रार्थी, (वादी)

वादी द्वारा एक वाद जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 27.02.2019 को अंतर्गत धारा 88,89,91,92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया है। वाद में उपस्थित प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 10 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है:- वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की मद संख्या एक में वर्णित आरजी को विक्रय पत्र के माध्यम से क्रेता प्रतिवादीगण संख्या एक व दो ने विक्रेता किशना पुत्र देव एवं पारी पुत्री देवा से दिनांक 10.6.1997 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया था ।वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ सजरा खानदान पेश किया है प्रार्थना पत्र की मद संख्या तीन में वर्णित साजरा खानदान के अनुसार विक्रेतागण किशना पुत्र देवा व पारी पुत्री देवाने प्रतिवादीगण एक व दो को आरजी का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से कर दिया था। उक्त बेचान से वादीगण का कोई हित प्रभावित नहीं हुआ है ।खानदानी सजरा के अनुसार वादीगण क्रम संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच,छह, आठ भीमा के वारिसान है तथा वादी क्रम संख्या 7 अर्जुन मृतक मोहन बाई का पुत्र है जो की भीमा की पुत्री है। सजर खानदान के अनुसार उक्त आरजी को केवल किशना एवं पारी ने अपने हिस्से को बेचान किया है । भीमा का हिस्सा वादी गण के पास ही है ।वादी गण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88,89,91, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृट्या अस्थिर, अवैध एवं अप्रवर्तनीय है । क्योंकि वादी यह प्रदर्शित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि उसका कोई विधिक हित प्रतिवादिगण के किसी कार्य से वास्तविक रूप से प्रभावित हुआ है या होने की स्थिति में है। वादी द्वारा वाद-पत्र में कोई ऐसा विशिष्ट राजस्व

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

अधिकार या विवाद नहीं दर्शाया है जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। वादीगण द्वारा वाद लाने के लिए अपने अधिकार कब्जे या हित का वास्तविक अथवा आसान्न रूप से प्रभावित होने वाला आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व होना चाहिए इस प्रकार वादीगण वाद पत्र में ऐसा कोई ठोस तथ्य वर्णित नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो की प्रतिवादिगण द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जिससे वादीगण के वैधानिक अधिकार कब्जे या हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पडने की संभावना हो। वादीगण को इस बात को प्रस्तुत करने का कोई locus standi प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो महज प्रतिवादिगण को परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है जो काबिल खारिज है। इस प्रकार वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को देखा किया है वाद पत्र में किए गए कथनों में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय किया जाता है। वादी ने राजस्व दस्तावेज के आधार पर घोषणात्मक राहत व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद पत्र पेश किया है। प्रतिवादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खातेदार किशना एवं पारी बाई पिता देवा से खसरा नंबर 903 की दो बीघा चार विस्वा में से किशना के संपूर्ण हिस्सा 1/4 तथा पारी बाई का हिस्सा 1/12 यानी 1/3 हिस्सा खरीद किया था लेकिन वादग्रस्त आरजी में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा निहित हो जाने से वादी ने वाद-पत्र पेश किया है अतः अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में मय खर्च ख़ारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण ने दोराने बहस अपने-अपने लिखित कथनों को दोहराया। हमने विद्वान अभिभाषक गण की बहस को गौरपूर्वक सुना पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस पर मनन किया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत पेश किया गया है अतः प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों को यहां पर उल्लेख करना समीचीन होगा :-

वाद पत्र का नामंजूर किया जाना:- वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा-

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए गए जाने पर उस समय के भीतर जो

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है ;

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टांप पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टांप पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उसे समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

(ङ) जहां यह दो प्रतियो में फाइल नहीं किया जाता है ;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है

उपरोक्त समस्त तथ्यों, कानूनी प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों, उभय पक्षकारों की दलीलों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन एवं विवेचन करने के उपरान्त यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता है:-

1. आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत वादपत्र नामंजूर करने की शक्ति एक असाधारण एवं drastic power है, जिसका प्रयोग अत्यंत सावधानी एवं संयमितता के साथ केवल उन्हीं स्पष्ट मामलों में किया जाना चाहिए जहां वादपत्र के समस्त कथनों को सत्य मानते हुए भी कोई वाद हेतुक (cause of action) उत्पन्न नहीं होता हो अथवा वाद स्पष्टतः किसी विधि द्वारा वर्जित हो।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Karam Singh बनाम Amarjit Singh एवं अन्य, 2025 INSC 1238 में प्रतिपादित विधि के अनुसार, इस स्तर पर केवल वादपत्र के कथनों तथा वादी द्वारा संलग्न दस्तावेज़ों का ही परीक्षण किया जा सकता है, न कि प्रतिवादी की प्रतिरक्षा या बाहरी साक्ष्यों का।

3. प्रस्तुत प्रकरण में वादपत्र का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91 एवं 92A के अंतर्गत अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा तथा राजस्व अभिलेखों में अपने हिस्से के दर्ज किए जाने हेतु वाद संस्थित किया गया है।

4. वादपत्र में वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि में उसका भी सहखातेदारी हिस्सा विद्यमान है, परंतु प्रतिवादीगण द्वारा अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है तथा राजस्व अभिलेखों में अनुचित प्रविष्टियां करवाई गई हैं। वादपत्र के साथ संलग्न सजरा खानदान से भी प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि वादीगण भी मूल खातेदार के वारिसान हैं।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

5. प्रार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वादी का कोई विधिक हित प्रभावित नहीं हुआ है तथा उसे वाद संस्थित करने का locus standi प्राप्त नहीं है। परंतु यह प्रश्न कि वादी का वास्तविक हिस्सा क्या है, विक्रेताओं द्वारा केवल अपने हिस्से का विक्रय किया गया था अथवा संपूर्ण भूमि का, तथा वादी के अधिकार वास्तव में प्रभावित हुए हैं या नहीं - यह सभी विवादित तथ्यों के प्रश्न हैं जिनका निर्धारण साक्ष्य प्रस्तुत करने, परीक्षण करने तथा विचारण की कार्यवाही के माध्यम से ही किया जा सकता है।

6. यह न्यायालय मानता है कि प्रार्थी द्वारा उठाए गए बिंदु विवादित तथ्यों पर आधारित हैं, न कि विधि के स्पष्ट प्रश्न पर। यदि प्रार्थी का यह तर्क कि वादी का कोई हिस्सा प्रभावित नहीं हुआ है, सही भी है, तो भी इसे साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत ऐसी जांच संभव नहीं है।

7. वादपत्र के कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है अथवा उसमें वाद हेतुक का सर्वथा अभाव है। वादपत्र में उल्लिखित तथ्यों को सत्य मानते हुए एक cause of action उत्पन्न होता प्रतीत होता है, जिसका परीक्षण विचारण की नियमित प्रक्रिया में किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

8. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाए गए बिंदुओं को उचित तनकी (Issues) के रूप में तैयार कर नियमित विचारण के दौरान, साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात, निर्णीत किया जाना ही विधि सम्मत तथा न्यायोचित होगा।

9. अतएव, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार, असंगत एवं विधि के अनुरूप न पाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना